(iii) योजना के तहत चिकित्सा सहायता प्राप्त करने हेतु लाभुकों को उपर्युक्त जिला स्तरीय समिति के समक्ष निम्न प्रपत्र में आवेदन समर्पित करना होगा :–

## मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा सहायता हेतु आवेदन का प्रपत्र

रोगी का अद्यतन फोटो

1. रोगी का नाम :–
2. रोगी के पिता/पति का नाम :–
3. स्थाई पता (मो० नम्बर के साथ) :–
4. रोग का नाम :–
5. श्रेणी

| बी0 पी0 एल0 परिवार | अधिकत्तम 72000/– रू0 वार्षिक आय वाला परिवार |
|---|---|
| | |

6. अस्पताल का नाम (जहाँ इलाज कराना है) :–
7. इलाज के लिए अस्पताल द्वारा प्राक्कलित राशि :–

अनुलग्नक : 1. दो अतिरिक्त पासपोर्ट साईज फोटो।
2. बी0पी0एल0 कार्ड/लाल कार्ड/अंत्योदय कार्ड।
3. आय प्रमाण–पत्र।
4. अस्पताल द्वारा निर्गत प्राक्कलन।

आवेदक अथवा अभिभावक का हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान

(iv) जिला स्तरीय समिति चिकित्सा सहायता हेतु प्राप्त आवदेन पत्रों के साथ प्राप्त कागजातों यथा–लालकार्ड/बी0पी0एल0 कार्ड/अन्त्योदय कार्ड/फोटो पहचान पत्र/आय प्रमाण पत्र/तथा चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन/संस्थान के शहर के लिए CGHS दर/बीमारी से संबंधित Prescription/सलाह आदि की जॉच कर अनुदान स्वीकृति के बिन्दू पर निर्णय लेगी। प्रत्येक स्थिति में यह सुनिश्चित किया जायगा कि योजना का लाभ लक्षित समूह को ही प्राप्त हो। गहन चिकित्सा कक्ष (Intensive Care Unit) में भर्ती मरीजों को प्राथमिकता दी जायगी।

(v) इस योजना के तहत लाभुकों को अनुदान की स्वीकृति वैसे रोगों के लिए जो तत्काल जीवन रक्षा से संबंधित हो, विशेष परिस्थति में सिविल सर्जन द्वारा दी जा सकेगी किन्तु उसकी घटनोत्तर स्वीकृति जिला स्तरीय समिति से प्राप्त की जायगी।

(vi) चिकित्सा सहायता की राशि संबंधित अस्पताल/संस्थान को बैंक ड्राफ्ट अथवा उनके खाते में इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर के माध्यम से दी जायगी। स्वीकृत सहायता राशि की व्यय विवरणी/प्राप्ति रसीद तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व इसकी विधिवत जॉच करा कर अग्रिम राशि का समायोजन किया जायगा तथा उसका विस्तृत वर्गीकृत व्योरा सरकार को एवं राज्य स्तरीय चिकित्सा सहायता प्रबंन्धन समिति को उपलब्ध कराया जायगा।

184(13)
17-7-2015

(vii) चिकित्सा सहायता हेतु लाभुक को अपने जिला में ही आवेदन देना होगा।

(viii) इस योजना के तहत अस्पतालों को अग्रिम भुगतान करना पड़ता है। अतः यह सुनिश्चित किया जायगा कि उतनी ही राशि की अग्रिम निकासी की जाय जितनी आवश्यक है।